दिनांक 25 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीया राज्यपाल जी का अभिभाषण

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच शामिल होकर मुझे अपार खुशी हो रही है। आज ही के दिन 25 जनवरी, 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर मैं निर्वाचन आयोग को बधाई देती हूँ।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का मूल उद्देश्य मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छे और योग्य प्रतिनिधियों के चयन हेतु करें। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि के प्रलोभनों से दूर रह कर अपने अन्तरात्मा की आवाज पर अपने मत का प्रयोग कर करें। देश का हर नागरिक जागरूक हो एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे।

यह खुशी की बात है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ–साथ कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर करता आया है। इसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। विगत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतों के प्रतिशत् में वृद्धि आई है। हाल ही में राज्य में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव में अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिला। इसके लिए मतदाता के साथ–साथ चुनाव कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई देती हूँ।

चुनावों में मतदाताओं की बेहतर सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाय। साथ ही, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनाया जाय। मतदाता सूची को अद्यतन रखने की दिशा में भी ध्यान देना होगा। हालांकि इस दिशा में लगातार पहल किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मतदाताओं के सुलभ पंजीकरण

हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल **(www.nvsp.in)** के माध्यम से मतदाताओं को ऑनलाईन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

हमारे राज्य में मतदाता सूची में उपलब्ध डाटा के अनुसार अभी भी बहुत–से लोगों का नाम, विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं का नाम दर्ज करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में इनकी अधिक–से–अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना आयोग का दायित्व है। इस निमित्त आयोग द्वारा सभी को जागरूक कर उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाय। मतदाता पहचान पत्र की त्रुटियों को भी शीघ्र दूर करने का कार्य करें। इन सभी के लिए मतदाता को जागरूक किया जाय तथा उन्हें प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाय।

इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक योग्य नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक के हो अपने जागरूक होने का परिचय देते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवायें। हमारे मतदाता जनप्रतिनिधि के चयन में अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं अपनी चुनी हुई सरकार के कार्यकलापों के प्रति जागरुक रहें तथा जिन आकांक्षाओं के साथ उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लगातार प्रयास करते रहें।

अन्त में भारत निर्वाचन आयोग की 66 वीं वर्षगांठ पर मैं पुनः इस राज्य की जनता की तरफ से आयोग को बधाई देती हूँ। साथ ही राज्य की जनता को अपनी शुभकामनायें देते हुए यह उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी चुनाव प्रक्रिया में उनकी और बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होगी।

जय हिन्द!